



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2805]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2019/भाद्र 4, 1941

No. 2805]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2019/ BHADRA 4, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

सं. 7/2019- केन्द्रीय कर

का.आ.3071(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 44 की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि इन्पुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कीस दिसंबर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम** — इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना, सातवाँ) आदेश, 2019 है।
2. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, “31 अगस्त, 2019” अंकों और शब्द के स्थान पर “30 नवंबर, 2019” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा.सं.20/06/07/2019-जीएसटी]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

ORDER

New Delhi, the 26th August, 2019

No. 7/2019-Central Tax

S.O.3071(E).—WHEREAS, sub-section (1) of section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the said Act) provides that every registered person, other than an Input Service Distributor, a person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person, shall furnish an annual return for every financial year electronically in such form and manner as may be prescribed on or before the thirty-first day of December following the end of such financial year;

AND WHEREAS, for the purpose of furnishing of the annual return electronically for every financial year as referred to in sub-section (1) of section 44 of the said Act, certain technical problems are being faced by the taxpayers as a result whereof, the said annual return for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2018 could not be furnished by the registered persons, as referred to in the said sub-section (1) and because of that, certain difficulties have arisen in giving effect to the provisions of the said section.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 172 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, the Central Government, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:—

1. Short title.—This Order may be called the Central Goods and Services Tax (Seventh Removal of Difficulties) Order, 2019.

2. In section 44 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017, in the Explanation, for the figures, letters and word “31st August, 2019”, the figures, letters and word “30th November, 2019” shall be substituted.

[F.No.20/06/07/2019-GST]

RUCHI BISHT, Under Secy.